संख्या-26/2025/001-470-12-5099-136-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रसार/1916/कृ०प्र०प्रा०/2024-25, दिनांक 23 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में धनराशि रू० 397.81 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तानवे लाख इक्यासी हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-930, दिनांक 30 मार्च, 2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद / कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
5. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,97,81,000 (रुपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-26/2025/001-470-12-5099-136-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एच-8 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20242025-439-12-5099-136-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रामण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मालक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रामित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रामण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रामण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090300 (कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां)	01 (वेतन)	3,75,09,07,000 रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ नौ लाख सात हजार मात्र	4,17,81,000 रुपये चार करोड़ सत्रह लाख इक्यासी हजार मात्र	4,17,81,000 रुपये चार करोड़ सत्रह लाख इक्यासी हजार मात्र	3978000	37111260000	2024-2025

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रामण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मालक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रामण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रामण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रामण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090300 (कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	70,50,000 रुपये सत्तर लाख पचास हजार मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	0.00	7050000	2024-2025
011	2401001090300 (कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां)	49 (चिकित्सा व्यय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	3,97,81,000 रुपये तीन करोड़ सत्तानवे लाख इक्यासी हजार मात्र	3978000	5978000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग की अनुमोदन देना चाहें :-
1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-
क- आवंटन व्यय के आधार पर उपलब्ध बचत।
2-स्तम्भ-6 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्याख्यात्मक निम्नलिखित कारणों से है :-
क- उक्त मदों में अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण।
3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: बजट ई-८ -2024-25, दिनांक 30 मार्च, 2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनीत कुमार सिंह)
उप सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 29-03-2025 14:08:00
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20242025-439-12-5099-138-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्यवक) अनुभाग-1 (बी0एस0-9 सील प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।